डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 15 फरवरी 2021, वर्ष-6, अंक-46

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

## फर्जीवाड़े में तमिलनाडु पहले, पंजाब दूसरे और मप्र छठे नंबर पर

- पीएम किसान सम्मान निधि में एक और चौकाने वाला खुलासा
- अपात्रों के खाते में गए पीएम किसान सम्मान निधि के 2,327 करोड़
- पैसे भेजने के बाद 10 फीसदी रिकवरी नहीं कर सकी सरकार

# अपात्र हो गए 'आत्मनिर्भर'

- सरकार 10.74 करोड़ किसानों को 115.22 करोड़ रुपए दे चुकी
- किसानों को हर साल तीन किस्तों में मिलते हैं छह हजार रुपए
- मंत्री, सांसदों और विधायकों को योजना से रखा गया बाहर

**अरविंद मिश्र, भोपाल**

किसानों के साथ ठगी होना, योजनाओं का लाभ न मिलना आम बात है। यह जगजाहिर है कि पात्र को खाने के लाले पड़ जाते हैं और अपात्रों की चांदी कट जाती है। यह हम नहीं कह रहे हैं। ये बात खुद केंद्र सरकार ने भी सदन में स्वीकार की है। सरकारी योजनाओं में किस तरह फर्जीवाड़ा होता है, इसका उदाहरण है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में देखा जा सकता है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि इस योजना के तहत 32.91 लाख ऐसे किसानों को 2,327 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया, जो योजना के क्राइटेरिया में आते ही नहीं थे। यानि लाभ लेने वाले किसान अपात्र थे। इससे सरकार को 2,327 करोड़ रुपए का चूना लग गया। हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब सरकार ने इस योजना के तहत गड़बड़ी की बात मानी है। इससे पहले, पिछले महीने ही एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने माना था कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20.48 लाख अपात्र किसानों को 1,364 करोड़ दे दिए गए हैं।

दरअसल, आम बजट आने के बाद पीएम सम्मान निधि योजना सुर्खियों में है। योजना में सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 65,000 करोड़ आवंटित किए हैं। पिछले साल ये रकम भी 65,000 करोड़ ही थी। 2020-21 के बजट अनुमानों में ये राशि 75,000 करोड़ थी। इसमें सरकार पर बजट में 10,000 करोड़ की कटौती करने का आरोप भी लगा। उधर, सरकार का दावा है कि योजना में किसानों की संख्या कम नहीं की जा रही है, बल्कि नए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ पात्र किसानों को ही योजना के तहत साल के 6,000 रुपए का लाभ मिले इसके लिए अपात्र किसान हटाए जा रहे हैं और उनसे राज्यवार वसूली हो रही है।

**23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा या उसके सहयोगी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। इनमें13.76 लाख अपात्र किसानों को 1,092 करोड़ भेजे गए**

**12 राज्यों में कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, उन राज्यों के 19.14 लाख अपात्र किसानों को 1,235 करोड़ का भुगतान किया गया।**

### लाभ वाले राज्य

| राज्य | रु. करोड़ में |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 2713 |
| महाराष्ट्र | 1193 |
| मध्यप्रदेश | 823 |
| बिहार | 755 |
| राजस्थान | 754 |
| गुजराज | 674 |
| आंध्र प्रदेश | 610 |
| कर्नाटक | 583 |

### अपात्रों को मिली राशि

| राज्य | अपात्र | करोड़ में |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | 6,96,989 | 321.31 |
| असम | 5,81,652 | 377.20 |
| पंजाब | 4,69,978 | 345.84 |
| महाराष्ट्र | 3,55,443 | 299.49 |
| गुजराज | 2,10,490 | 201.80 |
| मध्यप्रदेश | 2,04,437 | 151.72 |
| उत्तर प्रदेश | 1,78,398 | 171.47 |

### राज्यवार रिकवरी

| राज्य | फीसदी |
|---|---|
| तमिलनाडु | 49 |
| महाराष्ट्र | 19 |
| हिमाचल | 18 |
| गुजराज | 03 |
| मध्यप्रदेश | 04 |

जब योजना का सृजन हुआ तो उस वक्त अनुमान था 14.5 करोड़ किसान होंगे, उस हिसाब से 75,000 रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन अभी तक 10.75 करोड़ किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। केंद्र इस कोशिश में है कि सभी किसान इसके दायरे में आएं। अभी पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के आने से 70 लाख और किसान जुड़ जाएंगे। अपात्र किसानों से वसूली की प्रक्रिया जारी है।

-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

### तमिलनाडु में हुई वसूली

सबसे ज्यादा अपात्र किसान तमिलनाडु (696,989) में पाए हैं। जिसके बाद असम (581,652), पंजाब (469,978), महाराष्ट्र (355,443), गुजरात (210,490), मप्र (204,437) और यूपी (178.398) में हैं। इनमें सबसे ज्यादा वसूली 1,585,704,000 रुपए तमिलनाडु से हुई है। 17 राज्य ऐसे हैं, जहां 1.92 लाख अपात्र किसानों से एक रुपए की भी रिकवरी नहीं हो पाई है। इसमें 14 राज्य भाजपा शासित ही हैं।

### 10.74 करोड़ खाते में डाले

22 जनवरी तक 2021 तक आंकड़ों के अनुसार पूरे देश (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) में कुल 10 करोड़ 74 हजार 11522 किसानों के खातों में 11,17,62 करोड़ सभी किस्तों में भेजे गए हैं, लेकिन इन 107,431,981 किसानों में 3,291,152 अपात्र और आयकर दाता किसान की श्रेणी में आते हैं। योजना के तहत अपात्रों के खातों में 23,268,846,000 रुपए भेजे गए, जिसकी वसूली जारी है।

### अपात्रों के आंकड़े

- **6.96 लाख** तमिलनाडु
- **5.81 लाख** असम
- **4.69 लाख** पंजाब
- **3.55 लाख** महाराष्ट्र
- **2.10 लाख** गुजरात
- **2.04 लाख** मध्यप्रदेश
- **1.32 लाख** राजस्थान

**वन्य प्राणी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो मिलेगी राहत**

## अब किसानों को मिलेगा कम से कम 5 हजार का मुआवजा

**संवाददाता, भोपाल**

शिवराज कैबिनेट ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब मप्र में किसानों को 100 या 200 मुआवजे के चैक नहीं मिलेंगे, बल्कि कम से कम 5000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह मुआवजा फसलों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर दिया जाएगा यानि कि अगर किसी किसान के खेत में कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है और उससे फसल को नुकसान होता है तो कम से कम मुआवजे के तौर पर 5000 अवश्य मिलेंगे। कैबिनेट में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी तक किसी जानवर के फसल और मकान को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन कर इसे जोड़ा गया है।

**अब पशुपालन विभाग होगा**

### डेयरी विभाग

इधर, सरकार ने पशुपालन विभाग का नाम बदल दिया है। अब पशुपालन विभाग को डेयरी विभाग के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही विभाग के बदले हुए नाम को दस्तावेजों में दर्ज कराने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। बताया गया कि अधिकारियों की लंबे समय से मांग थी कि पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित कर पशुपालन एवं डेयरी उद्योग किया जाए।

## प्रदेश की मंडियों में खुलेंगे पेट्रोल-डीजल पंप

**» किसान खेती के साथ व्यापार, उद्योग करेंगे स्थापित » गेहूं के साथ चना, मसूर, सरसों भी खरीदी जाएगी**

**संवाददाता, भोपाल**

इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल के साथ-साथ चना, मसूर एवं सरसों की फसल भी खरीदी जाएगी। इस बार 80 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर व सरसों खरीदी जाएगा। जिससे किसानों को 8000 करोड़ से लेकर 16000 करोड़ तक का सीधा लाभ मिलेगा। पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से अब किसानों को गांव की आबादी की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा। जिससे किसान अपनी भूमि पर बैंकों से किफायती ब्याज दर पर ऋण ले सकेंगे। साथ ही व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग स्थापित कर अपनी आलू ,प्याज, टमाटर आदि उत्पादों का प्रसंस्करण कर एमएसपी की जगह एमआरपी पर बेच सकेंगे।

### मंडियां बनेंगी आदर्श

प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों को किसानों के लिए सर्व सुविधायुक्त आदर्श मंडी के रूप में तैयार किया जाएगा। जिसमें किसानों को आवश्कतानुसार मंडियों में ही गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं दवाइयां प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही मंडियों में पेट्रोल, डीजल पंप की व्यवस्था होगी। किसानों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएं जाएंगे जिससे वे आर्मी कैंटीन कि तरह अच्छी गुणवत्ता के कृषि उपकरण व रोजमर्रा/ घरेलू सामान सस्ती कीमतों पर ले सकेंगे।

### इनका कहना है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गांवों के विकास के द्वार खुलेंगे। खेती किसानी की दशा और दिशा बदलेगी। किसानों के आत्मनिर्भर होने पर ही प्रदेश व देश आत्मनिर्भर होगा। मां नर्मदा के आशीर्वाद से किसानों की आय को दोगुना करने व उनके खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। मैंने अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान पुण्य सलिला मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की प्रार्थना की है।

**कमल पटेल**, कृषि मंत्री, मप्र

# अन्नदाता गिन रहा अपनी उपज के दाम

» देखभाल की फिक्र कर रही कंपनी

» इंदौर जिले के किसान तीन साल से बेफिक्र होकर ले रहे मुनाफा

» कंपनी की ओर से मिल रहा उन्नत बीज-कीटनाशक की जानकारी

» छिंदवाड़ा में नौ साल से आलू की कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही

संवाददाता, भोपाल

नए कृषि कानूनों में कान्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का मुंह तोड़ जवाब मध्य प्रदेश के वे किसान हैं, जो कई साल से इसके तहत खेती कर रहे हैं। इंदौर जिले के दो गांवों के किसान कांट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आलू की खेती कर रहे हैं। इससे उनके मुनाफे में निश्चिंतता आई है। पहले से तय दाम मिलने से वे बेफिक्र हैं। जो चिप्स निर्माता कंपनी कांट्रैक्ट कर रही है, उसे अपने उत्पाद की चिंता रहती है, इसलिए बीज से लेकर मिट्टी परीक्षण तक का जिम्मा वही उठाती है।

एक फायदा यह भी है कि बाजार में बेचने पर 60 किलो के बैग पर एक किलो का वजन कटता है (कमी की जाती है) तो कंपनी से कांट्रैक्ट में इसी बैग पर 100 ग्राम वजन ही कटता है। जिले के 200 से अधिक किसान इसी नीति के तहत आलू उगा रहे हैं। वहीं, छिंदवाड़ा के उमरेठ, चौराई, बिछुआ और मोहखेड़ा ब्लॉक में नौ साल से आलू की कांट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा मप्र के पूर्व सीएम कमलनाथ गृह जिला है। लेकिन किसानों को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस के नेता आंदालनजीवियों के सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं मप्र के कुछ किसानों का कहना है कि अब कांट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को घाटा हो रहा है या फिर उनकी जमीन छीनी जा रही है तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में छिंदवाड़ा में बंद क्यों नहीं कराया।

## बीज की भी अच्छी गुणवत्ता

महू तहसील के ग्राम सिमरोल निवासी राजेश उज्जवल के पास 30 बीघा जमीन है। तीन साल से कान्ट्रैक्ट के तहत मुनाफा ले रहे हैं। उन्हें पता है कि कितने दाम पर कान्ट्रैक्ट करने से मुनाफा होगा। इसी हिसाब से कंपनी से दाम तय किए जाते हैं। उनका कहना है कि हम निश्चिंत हो जाते हैं। कंपनी बीज उपलब्ध कराती है। इससे इसकी गुणवत्ता बाजार में मिलने वाले बीज से अच्छी होती है। समय-समय पर मिट्टी का परीक्षण भी कंपनी ही करवाती है। इससे कितनी मात्रा में कौनसा कीटनाशक डालना है। यह हमें पता चल जाता है।

## दो रुपए किलो बोनस भी मिला

इंदौर जिले के ग्राम हरसोला के किसान गोलू तीन साल से पांच एकड़ में आलू की खेती कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाव तय हो जाता है तो चिंता नहीं रहती है। अन्य किसान जब बाजार भाव के कम होने से चिंतित होते हैं, उस समय हमें पता होता है कि हमारी उपज किस दाम पर बिकेगी। यदि बाजार भाव ज्यादा हो तो भी हमें फायदा मिलता है। जैसे इस बार हमने 16 रुपए किलो के भाव से दाम तय किए थे। बाजार भाव कुछ ज्यादा था तो प्रति किलो दो रुपए का बोनस दिया गया।

## किसान को यह भी फायदा

किसान को कंपनी बीज देती है। किसी कारण से बीज खराब हो जाए तो कंपनी की ओर से क्लेम देने की व्यवस्था है। हालांकि अभी तक क्लेम देने जैसी स्थिति नहीं बनी है। कंपनी की ओर से कृषि विज्ञानी फसल का निरीक्षण करने आते हैं। इससे किसी प्रकार की कीटव्याधि से निपटने का किसानों को मार्गदर्शन मिल जाता है।

## इनका कहना

क्षेत्र में कई गांवों के किसान कान्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। सभी को फायदा हो रहा है। तीन साल में अभी तक एक भी शिकायत इसे लेकर नहीं आई है।

**आलोक मीणा,**
संयुक्त संचालक (कृषि), इंदौर संभाग

### राजस्व विभाग ने आरसीएमएस सिस्टम से जोड़ा

# अब जमीन आवंटन का रखा जाएगा अलग-अलग हिसाब

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में अब जमीन आवंटन का रिकार्ड रखने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत कृषि भूमि और नजूल भूमि के आवंटन को राजस्व विभाग द्वारा आरसीएमएस सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में उद्योगों, किसानों, पट्टेदारों के लिए दी गई जमीन के लिए अलग सबहेड का भी निर्माण कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था की वजह से अब कम्प्यूटर से तत्काल ही आंवटित जमीन का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। अब तक राजस्व विभाग के पास जमीन आवंटित के अलग नहीं होने से यह पता करना मुश्किल होता था कि किस प्रायोजन के लिए कितनी जमीन का आवंटन किया गया है। यही वजह है कि अब हर प्रायोजन के लिए आवंटित जमीन के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र में अलग सब हेड बना दिया गया है। इसकी वजह से अब हर मामले में जमीनों का अलग-अलग हिसाब रखना संभव हो जाएगा।

## ऊपर से होगी निगरानी

प्रदेश में उद्योगों को कितनी जमीन आवंटित की गई है, कितने प्रस्ताव आए है, उनमें से कितनों का निराकरण

हुआ और कितने मामले लंबित है। यह जानकारी भी अब अलग से संधारित की जाएगी। इस वजह से इसकी मानीटरिंग भी प्रमुख सचिव और प्रमुख राजस्व आयुक्त स्तर पर आसानी से की जा सकेगी। यही नहीं, यह भी तत्काल पता लग सकेगा की प्रदेश के किस जिले में किस उद्योग को कितनी जमीन कितने समय के लिए लीज पर दी गई है और कितनी जमीन रिक्त है।

## नजूल भूमि का मदवार रहेगा लेखा-जोखा

राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा चार एक में नजूल भूमि के पट्टों के नवीनीकरण, स्थानी, तीन साल के पट्टे, अस्वीकृत और नत्थी किए गए मामलों का हिसाब रखा जाएगा। नजूल भूमि के स्थायी पट्टे, नजूल भूमि का राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरण, नजूल भूमि के अन्य मामले, नजूल भूमि का स्थानीय निकाय को भूमिस्वामी अधिकार दिए जाने के मामलों की जानकारी अलग-अलग सब हेड में रखे जाने से उसकी पूरी जानकारी तत्काल मिल सकेगी।

## कृषि लिए अलग रहेगा ब्योरा

कृषि के लिए जमीन का आवंटन और भूमिस्वामी हक दिए जाने, खेती के लिए सहकारी संस्थाओं, शालाओं, ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा और युवक क्लब को दी गई जमीनों के अलावा कृषि योग्य जमीन का अन्य विभगों, अन्य राज्यों और केन्द्र सरकार के संस्थानों को हस्तांतरण तथा कृषि योग्य भूमि से जुड़े अन्य मामलों को अलग सबहेड बनाया गया है। इसमें आवेदन से लेकर निराकरण तक की सारी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा।

» रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

» सीएम ने कहा-हां, मंत्री भार्गव ने बताया मेरे क्षेत्र की पंचायत

» गोपाल गांव, यहां 72 खेत तालाब बने, रक्षा मंत्री ने पूछा- कैसे बना लिए

» सागर की छुल्ला पंचायत में खेत तालाब किनारे से हुई वर्चुअल चर्चा

- जलाभिषेकम कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सराहा
- वर्चुअल माध्यम से 57,653 जल संरचनाओं का किया लोकार्पण
- तीन साल में पाइप लाइन से हर गांव में पहुंचाएंगे पानी
- मप्र नेतृत्व, प्रबंधन व योजनाओं के क्रियान्वयन में अव्वल
- निर्मित जल संरचनाओं से 2.50 लाख हे. पर होगी सिंचाई

# बुंदेलखंड के चंदेलकालीन तालाबों को संवारेगी मप्र सरकार

## फैक्ट फाइल

पंचायत- गोपाल पिपरिया

**जनसंख्या**
2000

**मतदाता संख्या**
1400

**किसानों की संख्या**
250

**तालाब की संख्या**
200

## इनका कहना है

जल संरचनाएं गांव, गरीब और किसान की बेहतरी में सहायक सिद्ध होंगी। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। कोरोनाकाल में इसका महत्व और बढ़ा है। आम किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने का काम होगा। किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी मिलेगी। मप्र में अनेक स्थानों पर जल संरचनाएं समाप्त हो रही थीं, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया गया है।

**राजनाथ सिंह,** रक्षा मंत्री

मध्य प्रदेश कई योजनाओं में देश में सबसे आगे है। बदलते मौसम चक्र को देखते हुए बूंद-बूंद पानी को रोकना जरूरी है। जलाभिषेकम अभियान में बनी जल संरचनाएं इसमें सहायक होंगी। जब शिवराज जी पहली बार एमपी के सीएम बने, तब पानी का बहुत बड़ा संकट था। हमने अनेक योजनाएं बनाकर जनता को लाभान्वित किया। मप्र सिस्टम, कार्यपालिका और नेतृत्व के मामले में अव्वल राज्य रहा है।

**नरेंद्र सिंह तोमर,** केंद्रीय कृषि मंत्री

हमने तय किया है कि पूरे मध्यप्रदेश में आने वाले तीन साल में प्रत्येक गांव में पाइपलाइन बिछा कर नल लगातार पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। जिन जल संरचनाओं का लोकार्पण किया गया है, उनसे लगभग एक लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जा सकेगी। हमारे कुओं और हैंडपंप का वॉटर लेवल बढ़ गया है। मनुष्यों के साथ ही पशु-पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था हो गई है। जल ही अमृत है।

**शिवराज सिंह चौहान,** सीएम

अनिल दूबे,दीपेंद्र तिवारी भोपाल/सागर

मध्य प्रदेश का जलाभिषेकम स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। जल ही जीवन और जगत के अस्तित्व का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में यह कार्यक्रम सहायक साबित होगा।

यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 57,653 जल संरचनाओं का लोकार्पण करते हुए कही। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के नेतृत्व और प्रबंधन की तारीफ की। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक इंच अतिरिक्त भूमि डुबोए बगैर 95 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल ने व्यापक स्तर पर तालाबों का निर्माण कराया था। चंदेलकालीन आठ सौ तालाबों को चिह्नित करके जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जा रहा है। नदी पुनर्जीवन के काम भी चल रहे हैं। 17,694 व्यक्तिगत तालाब, 2,365 सामुदायिक खेत तालाब, 1972 परकोलेशन टैंक, 5,773 स्टॉप डैम, 19,008 कपिल धारा कुएं, 2518 सामुदायिक कूप और 864 बावड़ियों का उद्धार किया गया है। 95,462 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी, बिना एक इंच अतिरिक्त जमीन डुबाए। वहीं खंडवा की पंचायत डोंगलगांव की कावेरी नदी पर बनाए गए चैक डेम और नदी पुनर्जीवन के लिए हुए कामों से कावेरी नदी में अब बारह महीने पानी रहने लगा है। मुरैना की कैलारस पंचायत में 21 तालाब बनाए गए हैं। इससे 200 बीघा जमीन सिंचित हुई है और किसान दो फसलें ले रहे हैं। आसपास भी भू-जल स्तर बढ़ गया है।

## रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मन को छू गई सागर जिले की छुल्ला पंचायत

80 खेत तालाब बनाकर सुर्खियों में आई सागर जिले की रहली जनपद की छुल्ला ग्राम पंचायत के लोगों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल संवाद किया। पंचायत में इतनी ज्यादा संख्या में खेत तालाब बनाने पर उन्होंने ग्रामीणों को बधाई दी। साथ ही क्षेत्र की ही पंचायत पिपरिया गोपाल का विशेष रूप से जिक्र करते हुए वहां के प्रधान (सरपंच) से लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को भी बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे यह बताया गया है कि सागर जिले की पिपरिया गोपाल ग्राम पंचायत है, जहां 72 खेत तालाब का निर्माण किया गया है। शिवराज सिंह जी हमारी सूचना सही है? इस पर मुख्यमंत्री ने हाथ उठाकर कहा- हां सही है। राजनाथ ने कहा इस ग्राम पंचायत को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रहली विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि छुल्ला के साथ ही पिपरिया गोपाल भी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र की पंचायत है। इसी तरह के कार्य क्षेत्र की अन्य पंचायतों में भी कराए गए हैं।

## सीएम बोले-केंद्र तक पहुंची आपकी बात

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रहली जनपद अध्यक्ष संजय दुबे से वर्चुअल चर्चा की। उन्होंने बैकग्राउंड देखकर कहा- खेत तालाब किनारे ही बैठे हैं। इस पर अध्यक्ष ने कहा- हां। इस बार सब फसलें भी अच्छी हैं। सीएम ने पूछा कि कोरोना काल में क्या-क्या काम क्षेत्र में लगाए गए? इस पर अध्यक्ष दुबे ने बताया कि आपके और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन में जनपद के साथ ही जिले भर में मेड़ बंधान, खेत तालाब बने।

## मुरैनाः थाटीपुरा के अमर सिंह ने सीएम को बताए गांव में बने तालाबों के लाभ

सीएम ने मुरैना जिले के किसान अमर सिंह कुशवाह से बातचीत कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक किया। मुख्यमंत्री ने थाटीपुरा ग्राम पंचायत में 32.42 लाख की लागत से तालाब निर्माण के कार्य का लोकार्पण किया। लोकार्पण बाद मुख्यमंत्री ने थाटीपुरा के ने गांव के अमर सिंह पुत्र राजाराम कुशवाह से वर्चुअल के माध्यम से रूबरू होकर तालाब से होने वाले लाभ के बारे में पूछा। जिस पर अमर सिंह ने कहा कि तालाब के बनने से करीबन 200 बीघा जमीन सिंचित हो रहीं है। इस पंचायत में कोरोनाकाल के समय 9 तालाब बनाए गए थे, उस समय जरूरतमंद परिवारों को अपने गांव के समीप रोजगार भी मिला था। तालाब न होने से सिर्फ और सिर्फ यह क्षेत्र बरसात पर निर्भर था। खरीफ की फसल ही यहां के किसान ले पाते थे, किन्तु प्रदेश सरकार के सहयोग से तालाब के निर्माण होने से पूरे वर्ष भर पानी तालाब में भरा हुआ है। इस पानी से खेतों की सिंचाई प्रारंभ कर दी है। अब हम एक नहीं दो फसल ले रहे हैं। रबी फसल में गेहूं और सरसों की खेती हम कर रहें है।

# बुंदेलखंडवासियों के लिए वरदान बनेगी अटल भूजल योजना

डॉ. आनन्द शुक्ल

बुन्देलखण्ड के 9 विकासखण्डों में अटल भूज़ल योज़ना के माध्यम से पेयज़ल की समस्या को दूर किया जायेगा। इसके लिए सरकार ने 314 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बुन्देलखण्ड के लगभग सभी जिलों में पिछले कई दशकों से पेयज़ल की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसी के चलते यहां पलायन जैसी स्थिति भी हमेशा बनी रहती है। सरकार ने इसके लिए बुन्देलखण्ड के छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह और पन्ना जैसे प्रमुख जिलों को इस योज़ना में शामिल किया है। इन प्रमुख जिलों के 9 विकासखण्डों की 678 ग्राम पंचायतों में पेयज़ल समस्या को दूर करने का समुचित उपाय किये जायेंगे। यह भी एक प्रकार का बड़ा जल प्रबंधन है। देखा जाये तो बुंदेलखण्ड में कृषि का पिछड़ापन तथा विकास की रफ्तार धीमी होने का प्रमुख कारण यहां जल का अभाव भी है। यही कारण है कि केन्द्र की मोदी सरकार तथा प्रदेश की शिवराज सिंह चैहान की सरकार दोनों के संयुक्त प्रयासों से अब यहां जल प्रबंधन करके न सिर्फ़ जल को सहेजा जायेगा बल्कि प्यासे कण्ठों की प्यास भी बुझ सकेगी।

जल प्रबंधन आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। इसका प्रभाव मानव जीवन में विकास और उसके अन्य तंत्र पर भी देखने को मिल रहा है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार ने बीते वर्ष देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल भूज़ल योज़ना लांच किया। यह योज़ना पूरी तरह पी फार आर मॉडल पर आधारित है। यानि कि प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। यह योज़ना देश के प्रमुख 7 राज्यों में जैसे की उप्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मप्र तथा कर्नाटक में लागू की गई है। इस योज़ना के संचालन में कुल 6000 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें 50 प्रतिशत विश्व बैंक तथा 50 प्रतिशत भारत सरकार शामिल करेगी। इस योज़ना का उद्देश्य 7 राज्यों के कुल 8353 ग्राम पंचायतों को पेयज़ल की समस्या से निजात दिलाना है। इस योज़ना का एक लक्ष्य यह भी है कि गिरते भूज़ल स्तर को सुधारा जाये क्योंकि



अंधाधुन्ध जल के दोहन से भूज़ल का स्तर काफी नीचे गिर गया है। वैज्ञानिक आंकड़ों पर नजर डाले तो भूज़ल का 85 प्रतिशत दोहन ग्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में तथा 65 प्रतिशत प्रयोग खेतों की सिंचाई करने के लिए किया जाता है। प्रतिवर्ष तेजी से बदलते पर्यावरणीय असंतुलन तथा प्रतिवर्ष वर्षा का घटता स्तर तथा जल संग्रहण की पयाज़्त व्यवस्था न होने के कारण बड़ी मात्रा में जल समुद्र में समाहित हो जाता है। इस प्रकार देखा जाये तो प्रतिवर्ष भूज़ल का स्तर और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में समय रहते भूज़ल स्तर को नहीं बढ़ाया गया या उसे बढ़ाने के उपाय नहीं किये गये तो आने वाले समय में पेयज़ल और सिंचाई के लिए जल एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने होगा। इसलिए आवश्यक है कि इसे समय रहते संवारा जाये। यही कारण है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने अटल भूज़ल योज़ना को लाँच किया है। बुन्देलखण्ड की बात करें तो यहां पेयज़ल एक गंभीर चुनौती है। प्रदेश सरकार ने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बुन्देलखण्ड के चिन्हित जिलों के 9 ब्लॉकों का चयन किया है जहां की प्रथम चरण में 678 ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर इस स्थिति से निपटा जाये और जनजीवन को सामान्य किया जाये। इससे वहां एक ओर पलायन भी रूकेगा वहीं दूसरी ओर खेती की पैदावार बढ़ेगी और विकास की मुख्य धारा में आम आदमी की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सकेगी। अटल भूज़ल योज़ना के साथ-साथ जल प्रबंधन के ओर भी प्रयास यदि जमीनी स्तर पर बुन्देलखण्ड में आकार ले लें तो आने वाले समय में इस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण भी किया जा सकता है। औद्योगिक इकाईयों के लगते ही रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और विकास की मशाल स्वत: ही जलने लगेगी। ऐसे में आवश्यक यह है कि शासकीय तंत्र के साथ-साथ सामाजिक तंत्र को भी अब आगे आने की जरूरत है। छतरपुर जिले का नौगांव और राजनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़ का बलदेवगढ़ और परेला, दमोह की पथरिया और पन्ना का अजयगढ़ को केन्द्र बिन्दु बनाकर योज़ना ओं को जमीन पर उतारे जाने की आवश्यकता है। सुनियोजित और निश्चित समय सीमा में इन योज़नाओं का लाभ आम आदमी के घरों तक तथा खेतों तक पहुंचते ही वह दिन दूर नहीं की बुन्देलखण्ड की धरती उन्नत खेती और विकास की दौर में आगे न निकल जाये।

# कुतर्क के जरिए कृषि कानूनों का विरोध

ए. सूर्यप्रकाश

मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। इन तीनों कानूनों के समग्र आकलन से यही सार निकलेगा कि उनका विरोध तार्किक आधार पर न होकर राजनीतिक संकीर्णता के चलते हो रहा है। इन कानूनों का मकसद किसानों को सशक्त कर उन्हें बाजार से जोड़ना है। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और मंडी समितियों पर भी कोई आंच नहीं आएगी। इनमें पहला कानून किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 है। यह किसानों को अपने क्षेत्र में कृषि उत्पाद विपणन समितियों यानी एपीएमसी से इतर अपनी उपज बेचने की आजादी देता है। इसकी धारा 3 किसानों को अपने राज्य या राज्य की सीमा से बाहर उपज को ले जाने की स्वतंत्रता देती है। एक अन्य धारा के अनुसार किसानों के साथ लेनदेन करने वाले व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवसों में किसान को हर हाल में भुगतान करना होगा।

मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। इन तीनों कानूनों के समग्र आकलन से यही सार निकलेगा कि उनका विरोध तार्किक आधार पर न होकर राजनीतिक संकीर्णता के चलते हो रहा है। इन कानूनों का मकसद किसानों को सशक्त कर उन्हें बाजार से जोड़ना है। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और मंडी समितियों पर भी कोई आंच नहीं आएगी। इनमें पहला कानून किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 है।

यह कानून केंद्र सरकार को समयबद्ध विवाद निस्तारण के लिए कृषि उपज मूल्य सूचना एवं बाजार आसूचना (इंटेलीजेंस) तंत्र विकसित करने की गुंजाइश देता है। इस कानून में जहां किसानों को स्थानीय एपीएमसी या उससे इतर विकल्प चुनने की आजादी है, वहीं व्यापारियों के लिए किसानों को उनकी उपज का तय समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का प्रविधान है। इन प्रविधानों का विरोध समझ से परे है, क्योंकि इसमें अगर किसी पर शिकंजा कसा गया है तो आड़तियों और दलालों पर। यही कारण है कि वे किसानों को गुमराह कर उनके आंदोलन को सभी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं।




दूसरा कानून मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाएं अधिनियम, 2020 है। यह कानून कृषि उत्पादों के कारोबारियों-निर्यातकों को एक पूर्व निर्धारित कीमत पर फसल के अग्रिम अनुबंध का अधिकार प्रदान करता है। इसकी धारा 3(1) के अनुसार किसान अपनी उपज के लिए लिखित अनुबंध कर सकते हैं। यह अनुबंध अधिकतम पांच वर्षों के लिए किया जा सकता है। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण अंश यह है कि इसमें जमीन के किसी भी प्रकार के सौदे का उल्लेख नहीं। कृषि अनुबंध में न तो जमीन को पट्टे पर लिया जा सकता है, न उसे गिरवी रखा जा सकता है और न ही उसे बेचा जा सकता है। इसकी धारा 13(1) में भी विवाद निस्तारण तंत्र की व्यवस्था है। तीसरा कृषि कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन से जुड़ा है। इसमें प्रविधान है कि खाद्य उत्पादों की आपूर्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही नियंत्रित की जाएगी। यानी युद्ध, अकाल, भारी मूल्य वृद्धि और विकराल प्राकृतिक आपदाओं में ही ऐसा हो सकेगा। आखिर ऐसी किसी भी पहल से आपत्ति क्यों?

वास्तव में ये कानून किसानों और कारोबारियों को पुरातन व्यवस्था से मुक्ति दिलाते हैं। ये प्रतिस्पर्धा को बड़ाते हैं ताकि किसान स्थानीय बाजार के मोहताज न बने रहें। दूसरे शब्दों में कहें तो इनसे बाजार की ताकतें प्रभावी हो जाएंगी और उसमें मंडियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनना होगा। इस बीच एमएसपी का सहारा निरंतर मिलता रहेगा। इससे किसानों को मंडियों और आड़तियों के वर्चस्व वाली व्यवस्था से निजात मिलेगी। इन नए कृषि कानूनों से अगर किसी को चिंतित होना चाहिए तो उपभोक्ताओं को, क्योंकि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर कुछ प्रमुख उत्पादों की कीमतों और भंडारण के मामले में हस्तक्षेप के अपने अधिकार को सीमित कर लिया है। यानी उपभोक्ता अब पूरी तरह बाजार के रुझान पर निर्भर रहेंगे। इससे भला किसान कैसे प्रभावित होंगे?

कृषि कानूनों पर तकरार की चर्चा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उस पाखंड के बिना अधूरी रहेगी, जिसका वह अभी प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यह गठजोड़ अपने दस वर्षीय शासन में कृषि सुधारों की हिमायत करता रहा, लेकिन अब उनके विरोध पर आमादा है। यह बड़ा विचित्र है। सबसे बड़ी पलटी राकांपा के मुखिया शरद पवार ने खाई है, जो केंद्र में कृषि मंत्री रहते इन सुधारों के लिए दौड़-भाग करते रहे। बतौर कृषि मंत्री पवार ने राज्यों को एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने की जोरदार वकालत की। उनकी दलील दी थी कि निजी क्षेत्र के रूप में एक विकल्प देना किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों वर्गों के हितों की पूर्ति करेगा।

उन्होंने तर्क दिया कि कृषि की वृद्धि के लिए एक सुसंचालित बाजार आवश्यक है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्य होगी। उन्होंने वर्ष 2005 से 2007 के बीच मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षण करने के साथ ही अपने मंत्रालय द्वारा सुझाए एपीएमसी नियमों के मसौदे से अवगत कराया। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नवंबर 2011 में लिखे पत्र में उन्होंने दोहराया कि समावेशी वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र को बेहतर ढंग से चलने वाले बाजार की दरकार है और उसमें 'निजी क्षेत्र की अहम भूमिका जरूरी होगी।'

उन्होंने कहा कि इससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के साथ ही उपभोक्ता कीमतों से किसानों के पास बड़ा हिस्सा पहुंचेगा। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से एपीएमसी अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन का आग्रह भी किया। वही पवार अब नया राग अलाप रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि मंडियां प्रभावित होंगी और कॉरपोरेट को उपज बेचने वाले किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं होगी। उनकी यह बात समझना मुश्किल है, क्योंकि किसानों के लिए सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने का विकल्प खत्म नहीं होगा।

किसानों पर ये कानून एकाएक थोपने का दुष्प्रचार भी निराधार है। कृषि सुधारों की बातें दो दशकों से हो रही हैं। कई सरकारों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में एक मॉडल कृषि विपणन अधिनियम जारी किया था। उसे 11 राज्यों ने पूरी तरह और छह राज्यों ने आंशिक रूप से अपनाया। इसके बाद 2018 में केंद्र ने मॉडल कृषि अनुबंध खेती अधिनियम पेश किया, जिसे दो राज्यों ने अपनाया। नए कानूनों का मुखर विरोध कर रहे पंजाब में तो कृषि अनुबंध कानून 2013 से ही लागू है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को समझना होगा कि भारत 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों वाला देश है। कई राज्यों में किसानों ने नए कृषि कानूनों पर खुशी जताई है। महज दिल्ली से भौगोलिक नजदीकी ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात को निर्णायक नहीं बना सकती।

**लेखक के निजी विचार हैं।**

# नए कृषि कानून क्यों सिर्फ किसानों की समस्या नहीं हैं?

विक्रांत निर्मला सिंह

तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बीते कई हफ्ते से आंदोलित हैं और तीनों कृषि कानूनों के वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान कृषि आंदोलन को एक विशेष राज्य और एक विशेष समूह तक सीमित बताया जा रहा है। यह बात सही भी है, क्योंकि वर्तमान कृषि आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच अधिक दिख रहा है, इसका एक ठोस कारण यह भी है कि इन तीनों कृषि कानूनों का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब और हरियाणा में ही रहने वाला है। पंजाब और हरियाणा में देश की सबसे अधिक कृषि मंडियां हैं और वहां के किसान मंडियों के जरिये एमएसपी के लाभ को जानते हैं। बाकी देश के अन्य हिस्से जिनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को कृषि की मूलभूत जरूरतों और कृषि मंडियों से दूर रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा से इस आर्थिक सोच को प्रभावी बनाना था कि कृषि एक लाभ का क्षेत्र नहीं है और कभी भी किसानों को एक बड़ी 'बारगेनिंग पावर' नहीं बनने देना था। आज यह सफल होता भी दिख रहा है। लेकिन, तीनों नए कृषि कानून सिर्फ किसानों के नजरिए से विरोध का कारण नहीं हैं, बल्कि यह सामान्य जन के लिए भी निकट भविष्य में चुनौती का कारण बन सकते हैं।

पहला कानून जिसका नाम 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020' है, यह कानून निकट भविष्य में सरकारी कृषि मंडियों की प्रासंगिकता को शून्य कर देगा। सरकार निजी क्षेत्र को बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी जवाबदेही के कृषि उपज के क्रय-विक्रय की खुली छूट दे रही है, इस कानून की आड़ में सरकार निकट भविष्य में खुद बहुत अधिक अनाज न खरीदने की योजना पर काम कर रही है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कृषि उपज की खरीदारी निजी क्षेत्र करें ताकि वह अपने भंडारण और वितरण की जवाबदेही से बच सके। सोचिए कि अगर निकट भविष्य में कभी कोरोना जैसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो उस दौरान सरकार खुद लोगों को बुनियादी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र से खरीदारी करेगी। वहीं, आज वह इसे अपने बड़े एफसीआई गोदामों से लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। साथ ही सरकारी कृषि मंडियों के समानांतर आसान शर्तों पर खड़ा किया जाने वाला नया बाजार इनकी प्रासंगिकता को खत्म कर देगा और जैसे ही सरकारी मंडियों की प्रासंगिकता खत्म होगी, ठीक उसी के साथ एमएसपी का सिद्धांत भी प्रभावहीन हो जाएगा, क्योंकि मंडियां एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं। दूसरा कानून 'कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020' है, जिसकी अधिक चर्चा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद में समाधान के मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में की जा रही है, इस कानून का पूरा विरोध इस तथ्य पर हो रहा है कि इसके जरिए किसानों को विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट जाने से रोका गया है। यह बिल्कुल ठीक विरोध है। लेकिन, इसके साथ ही साथ एक और हिस्सा है जहां ध्यान देने की जरूरत है। कांट्रैक्ट फार्मिंग के इस कानून की वजह से देश में भूमिहीन किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग के जीवन पर गहरा संकट आने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 26.3 करोड़ परिवार खेती-किसानी के कायज़ में लगे हुए हैं, इसमें से महज 11.9 करोड़ किसानों के पास खुद की जमीन है। जबकि 14.43 करोड़ किसान भूमिहीन हैं. ।भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या 'बंटाई' पर खेती करती है।

**-संस्थापक एवं अध्यक्ष, फाइनेंस एंड इकनॉमिक थिंक काउसिंल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय।**

### इंजीनियर की नौकरी छोड़ किसान बनें और अब हो रही दूर-दूर तक चर्चा

# खीरा और ककड़ी की खेती ने बदल दी राघव की किस्मत

संजय शर्मा, खंडवा

जिले के कालमुखी गांव का एक किसान की सब्जी की खेती इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा इसलिए, क्योंकि किसान जो पहले इंजीनियर की नौकरी करता था और अब नौकरी छोड़कर खेती कर रहा है। इस किसान का नाम है राघव उपाध्याय, जो 10 एकड़ भूमि पर ककड़ी और खीरे की खेती से लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। राघव उपाध्याय ने केवल 90 दिनों में 10 से 12 टन खीरे का उत्पादन कर राघव ने सभी को चौंका दिया है।

**मैकेनिकल ब्रांच से राघव ने किया बीई:** राघव उपाध्याय ने मैकेनिकल ब्रांच से बीई की डिग्री हासिल की है और मुंबई स्थित एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर का काम भी कर चुके हैं। राघव का कहना है कि वो किसान परिवार में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े शायद इसीलिए खेती से हमेश लगाव बना रहा।

**नौकरी नहीं आई रास, खेती को बनाया कमाई का जरिया:** राघव उपाध्याय ने 10 एकड़ कृषि भूमि पर खीरे और संकर ककड़ी लगाई और 90 दिनों में 10 से 12 टन उत्पादन प्राप्त किया। अपनी ही सफलता से प्रेरित होकर अब वो एक एकड़ भूमि तरबूज, करेला, ककड़ी, टिंडा और गिलकी की खेती कर रहे हैं।

**ड्रिप तकनीक से कर रहे सिंचाई:** राघव सब्जियों की सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीक की मदद लेते हैं। वो कहते हैं कि ड्रिप सिंचाई नकदी फसलों की खेती में फायदेमंद है, इसमें कम श्रम और पैसा लगता है। खीरे की खेती में राघव विदेशी किस्मों जैसे- जापानी लौंग ग्रीन, चयन, स्ट्रेट- 8 के साथ-साथ भारतीय किस्मे जैसे- स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा और पूसा उदय की भी खेती करते हैं।

**कब हो सकती है खीरे की खेती:** वो बताते हैं कि वैसे तो खीरे और का फसल का चक्र 60 से 80 दिनों तक का होता है, लेकिन इसकी खेती गर्मी के साथ-साथ वर्षा ऋतु में भी हो सकती है। भीषण ठंड को छोड़ दिया जाए, तो फरवरी माह के दूसरा सप्ताह से ही इसकी बुवाई की जा सकती है। वहीं अगर पॉली हाउस में कोई किसान इसकी खेती करना चाहता है, तो वो साल के किसी भी महीने इसकी खेती कर सकता है।

**इस तरह करें खीरे की खेती:** खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसकी बोवनी लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बोवनी के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई - गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें।

## कब और कैसे करें ककड़ी की खेती

ककड़ी की बोवनी के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च ही होता है, लेकिन अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसके लिए एक एकड़ भूमि में एक किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की ज़मीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की तीन से चार बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बीजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर दो-तीन बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें।

# पांडु फल की खेती से एक बीघे में छह लाख रुपए की कमाई कर रहे विनोद

अमित निगम, रतलाम

रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील के कुशलगढ़ गांव के किसान विनोद पाटीदार पांडु फल की खेती कर रहे हैं। तीन साल पहले उन्होंने विदेश से इसके 100 पौधे एक्सपोर्ट किये थे और पिछले दो सालों से फल ले रहे हैं। विनोद का कहना है कि इसे कृष्णा फल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसे पैशन फ्रूट कहा जाता है।

## कैसे करते हैं इसकी खेती

विनोद ने बताया कि एक बीघा में करीब 230 पौधे लगते हैं। जिन्हें कतार से कतार की दूरी 12 फीट कर पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट रखी जाती है। उन्होंने तकरीबन 100 पौधे एक्सपोर्ट किए थे। प्रति पौधे की कीमत उन्हें 150 रुपये तक पड़ी थी। वहीं अब इसके प्रति पौधे की कीमत 80 रुपए है। डेढ़ साल बाद ही इसमें फल आने लगते हैं। एक बीघा से करीब 25 क्विंटल कृष्णा फल का उत्पादन होता है। जिससे छह लाख रुपए की आमदानी होती है।

## दिल्ली में 350 रुपए किलो

विनोद ने बताया कि इसके हेल्थबेनिफिट को देखते हुए बाजार में इस फल की अच्छी मांग रहती है। पिछले साल उन्होंने पहली बार कृष्णा फल का उत्पादन लिया था। जिसे दिल्ली मंडी में 350 रुपए/किलो बेचा था। हालांकि कोरोना काल की वजह से इस साल उन्हें 250 रुपए किलो का ही भाव मिल पाया। उन्होंने बताया कि इसकी खेती मंडप (मचान विधि) विधि से की जाती है।

## कैंसर के लिए फायदेमंद

उन्होंने बताया कि यह कृष्णा फल स्वाद में खट्टा होता है और इसका जूस बनाकर सेवन किया जाता है। यदि कैंसर रोगी शहद के साथ इसका जूस बनाकर पिए तो यह तो कैंसर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह बेलनुमा पौधा होता है जिस पर अक्टूबर महीने में फूल आते हैं। वहीं नवंबर-दिसंबर में इसमें फल आने लगते हैं तथा अप्रैल तक फल लिए जा सकते हैं। इसके फल की साइज देखने में सेब के बराबर होती है जो वजन में 100 से 130 ग्राम के होते हैं। अमेरिका में इसकी खेती बड़ पैमाने पर होती है।

## उपयुक्त जलवायु और मिट्टी

आम तौर पर ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी से 250 सेमी तक होती है। समुद्र सतह से ऊंचाई 800 से 1500 मीटर तक हो उन स्थानों में पैशन फ्रूट खेती की जा सकती है। बैंगनी पैशन फ्रूट में फूल तथा फल सैट होने के लिए 18डिग्री से. से 23डिग्री से. तापमान अनुकूल माना जाता है। जबकि अपेक्षाकृत उच्च तापमान फल में रस की मात्रा तथा गुणवत्ता के निर्धारण के लिए जरूरी होता है। बैंगनी पैशन फ्रूट की खेती उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के साथ ही ठंडे व ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी की जा सकती है। इसके विपरीत पीले पैशन फ्रूट की खेती उष्णकटिबंधीय व गर्म क्षेत्रों में ही संभव है।

### फरवरी-मार्च का महीना रोपाई का सही समय

# स्टीविया की खेती से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं किसान

संवाददाता, भोपाल

आज कल देश के किसानों का रुझान नगदी फसलों की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में औषधीय फसलों की खेती की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। औषधीय पौधों में स्टीविया, सतावरी, अश्वगंधा और आर्टीमीशिया जैसी फसलों की खेती की जा रही है।

## हर मौसम में स्टीविया की खेती

स्टीविया ऐसी औषधीय फसल है, जिसकी खेती बारिश को छोड़कर हर मौसम में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए खेत में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।

## रोपाई का सही तरीका और समय

वैसे तो स्टीविया की खेती सालभर की जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए इसकी खेती के लिए फरवरी-मार्च महीना उचित माना जाता है। इसके पौधे की रोपाई मेड़ बनाकर की जाती है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर उंचाई की 2 फीट चौड़ी मेड़ का निर्माण किया जाता है। जहां लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। बता दें कि मेड़ों के बीच में डेढ़ फीट की नाली छोड़ी जाती है।

## जैविक खाद का प्रयोग करें

जैसा कि आप जानते हैं कि स्टीविया की पत्तियां मीठी होती है और इसका उपयोग सीधे खाने में किया जाता है। यही वजह है इसकी खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां तक इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो एक एकड़ के लिए नाइट्रोजन 110 किलोग्राम, फास्फोरस 45 किलोग्राम और पोटाश 45 किलोग्राम जरूरत होती है। इसके लिए 200 क्विंटल गोबर खाद या फिर 70 से 80 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट पर्याप्त होती है।

## 10 दिनों के अंतराल पर करें सिंचाई

स्टीविया की खेती में अत्यधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए सर्दियों के दिनों में 10 दिनों के अंतराल पर और गर्मियों में सात दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई के लिए के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाएं।

## खरपतवार नियंत्रण

स्टीविया में खरपतवार नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि अनावश्यक खरपतवार नियंत्रण के लिए समय-समय पर निराई-गुड़ाई करना चाहिए।

## रोग एवं कीट नियंत्रण

वैसे तो स्टीविया की खेती में किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, लेकिन बोरान की कमी के कारण इसकी पीली होती है। जिससे इसके पत्तों पर धब्बे पड़ जाते हैं। इसके लिए बोरेक्स 6 प्रतिशत का छिड़काव किया जाता है। वहीं कीटों की रोकथाम के लिए नीम के तेल का छिड़काव करें।

## समय-समय पर करें पत्तियों की तुड़ाई

इसकी पत्तियों में ही स्टीवियोसाइड तत्व पाया जाता है. यही वजह है कि इसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी होता है। पत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए इसके फूलों की तुड़ाई बेहद जरूरी है। स्टीविया के फूलों की पहली तुड़ाई रोपाई की 30 दिन, दूसरी तुड़ाई 45 दिनों बाद, तीसरी तुड़ाई 60 दिनों बाद और चौथी तुड़ाई 75 दिनों बाद और पांचवीं तुड़ाई 90 दिनों बाद करना चाहिए।

## 300 रुपए किलो स्टीविया की पत्ती

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टीविया की पत्तियों की अच्छी खासी मांग रहती है और यह 300 से 400 प्रति किलो बिकती है। सालभर में स्टीविया की 3 से 4 कटाई की जाती है, जिससे 70 से 100 क्विंटल सुखी पत्तियों का उत्पादन होता है। यदि थोक बाजार में यह 100 रुपए किलो भी बिकती है तो हर प्रति एकड़ से 5 से 6 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है।

# फसल को कचरा बताने वाले तहसीलदार की छुट्टी

## मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समझा किसानों का दर्द

संवाददाता, सागर

हाल ही में परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र के कुछ किसान अपनी चने की खराब फसल दिखाने नायब तहसीलदार एलपी अहिरवार के पास पहुंचे थे। किसानों ने जब उन्हें खराब फसल दिखाई, तो नायब तहसीलदार किसानों से बोले कि ज्यादा नौटंकी मत करो तुम्हारी यह फसल कचरा है। दो दिन बाद जब मामला क्षेत्रीय विधायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से नायब तहसीलदार को पद से हटा दिया। नायब तहसीलदार को पद से हटाते हुए राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के कलेक्टर दीपक सिंह को मामले में जांच के निर्देश भी दिए हैं। जबकि एलपी अहिरवार के स्थान पर कैलाश कुर्मी को जैसीनगर का नया नायब तहसीलदार बनाया है। राजस्व मंत्री का कहना

है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

### यह है पूरा मामला

दरअसल, पाला पड़ने से क्षेत्र के किसानों की चने और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। जैसीनगर ब्लॉक के कुछ किसान नायब तहलीदार को अपनी खराब फसल दिखाने पहुंचे थे। किसान अपने साथ चने और गेहूं की कुछ बालियां नायब तहसीलदार को दिखाने लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने किसानों के हाथ में चने और गेहूं की बालियां देखी तो वे नाराज हो गए और किसानों पर भड़क गए। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था।

### इनका कहना है

किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का गलत आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है तो इसके लिए सरकार ने मुआवजे का इंतजाम किया है। इसलिए कोई भी अधिकारी किसानों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकता है। सागर कलेक्टर को जांच के निर्देश भी दिए हैं।

गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री

# बेहतर उत्पादन के लिए इस मौसम में करें सब्जियों की उचित देखभाल

संवाददाता, भोपाल

इस मौसम में जब कभी तापमान कम या ज्यादा हो रहा है। वहीं कई जगहों पर तापमान में काफी गिर गया है। इसके चलते कद्दूवर्गीय सब्जी की देखरेख करना किसानों के लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि गिरते तापमान में कद्दूवर्गीय फसल तरबूज, खरबूज, लौकी, टिन्डा, कद्दू, करेला आदि के अंकुरण में गिरावट आ सकती है। यदि आपने भी अपने खेत में जायद फसल की बुवाई की है या करने जा रहे हैं तो आपको भी इस इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

**गिरते तापमान का अंकुरण पर सीधा असर :** कृषि जानकारों के अनुसार इस समय मौसम में दिन का तापमान अधिक व रात का तापमान गिर जाता है। इस कारण इन फसलों के अंकुरण पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों को इसके लिए निम्न उपाय अपनाने की सलाह कृषि जानकारों की ओर से दी जाती है ताकि उत्पादन पर विपरित प्रभाव नहीं पड़े। कद्दूवर्गीय फसल तरबूज, खरबूज, लौकी, टिन्डा, कद्दू, करेला आदि के बीजों की बुआई यदि सीधे - सीधे खेतों में नदी किनारे की गई हो तो अंकुरण में गिरावट आ सकती है। गिरते तापमान का सीधा असर अंकुरण पर होता है और एक बार यदि अंकुरण ही प्रभावित हो गया तो उत्पादन पर विपरित प्रभाव पड़ता है।

**पौधों में बेहतर अंकुरण के लिए अपनाये ये तरीके:** किसानों को चाहिए कि छोटी-छोटी पॉलीथिन की थैलियों में रेत मिट्टी/खाद का मिश्रण भरकर उसमें बीज डाल कर थैलियों को छाया में रखा जाए। फुहारे से सींच कर पौधे तैयार किए जाए फिर इन अंकुरित 2-3 पत्तियों वाले पौधों को मुख्य खेत में रोपा जाए ताकि वातावरण के अतिरेक को सहने की शक्ति पौधों को हो जाए।

अधिक संतोषजनक अंकुरण के लिए बीजों को 2-3 घंटे गुनगुने पानी में भिगोकर रखने के बाद यदि पॉलीथिन में बोया जाए तो लाभकारी होगा। वर्तमान के मौसम को परखते हुए जायद फसल की बुआई का कार्यक्रम हाथ में लिया जाए तो अधिक उपयोगी होगा। प्रमुख फसलों में भिंडी, मूंगफली, तिल इन फसल के बोने का समय फरवरी माह है यथा संभव तापमान की परख देखने के बाद ही इनकी बुआई कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाना अच्छा होगा ताकि अंकुरण प्रभावित होने से बच जाए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान के मौसम में तापमान का उतार-चढ़ाव बहुत आ रहा है जिनका सामना अंकुरण को करना पढ़ता है। अत: बुआई के पहले इस और ध्यान रखें ताकि जायद से अतिरिक्त आय का उद्देश्य पूरा हो सके।

इसी प्रकार मूंग, उड़द की बुआई भी अप्रैल माह में ही की जाए तो उत्तम होगा। ध्यान दें कि जितना खरीफ/रबी के बीजों का बीजोपचार किया जाना आवश्यक है उतना ही जायद के बीजों का भी उपचार आवश्यक होगा क्योंकि अधिकांश जिन्सों के बीज की बाहरी सतह में छुपी हुई फफूंदी रहती है जो अंकुरण प्रभावित कर सकती है और कालान्तर में पत्तियों के विभिन्न रोगों की कारक भी बन सकती है।

कद्दूवर्गीय फसलों में नरपुष्पों की संख्या मादा पुष्प से अधिक होती है फलस्वरूप वृद्धि नियंत्रणों का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मादा पुष्प प्राप्त होकर अधिक फल बन सकें।

अंकुरण उपरांत 4-6 पत्तियों की अवस्था में वृद्धि नियंत्रकों का छिड?ाव लाभकारी माना गया है। ध्यान रहे गोबर खाद के साथ रसायनिक उर्वरकों का उपयोग भी सिफारिश के अनुरूप किया जाना जरूरी होता है। अच्छा बीज, बीजोपचार, भरपूर पोषक तत्व के साथ क्रांतिक अवस्था में सिंचाई से ही लक्षित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बेलों वाली फसलों को सहारा देकर मिट्टी से ऊपर रखने की व्यवस्था यदि हो जाए पुख्ता मंडप यदि बन जाए तो फलों की गुणवत्ता बहुत बढ़ेगी यदि फल जमीन पर हो तो उनको उलट-पलट करते रहना जरूरी होगा।

## सब्जियों की बुवाई हमेशा पंक्तियों में करें

- बेल वाली किसी भी फसल लौकी, तुरई, टिंडा एक फसल के पौधे अलग-अलग जगह न लगाकर एक ही क्यारी में बुवाई करें।
- यदि लौकी की बेल लगा रहे हैं तो इनके बीच में अन्य कोई बेल जैसे- करेला, तुरई आदि न लगाएं। क्योंकि मधु मक्खियां नर व मादा फूलों के बीच परागकण का कार्य करती हैं तो किसी दूसरी फसल की बेल का परागकण लौकी के मादा फूल पर न छिड़क सकें और केवल लौकी की बेलों का ही परागकण परस्पर ज्यादा से ज्यादा छिड़क सकें। जिससे अधिक से अधिक फल लग सकें।
- बेल वाली सब्जियां लौकी, तुरई, टिंडा आदि में कई बार फल छोटी अवस्था में ही गल कर झड़ने लग जाते हैं। ऐसा इन फलों में पूर्ण परागण और निषेचन नहीं हो पाने के कारण होता है। मधु मक्खियों के भ्रमण को बढ़ावा देकर इस समस्या से बचा जा सकता है।
- बेल वाली सब्जियों की बुवाई के लिए 40-45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी लंबी नाली बनाएं। पौधे से पौधे की दूरी करीब 60 सेंटीमीटर रखते हुए नाली के दोनों किनारों पर सब्जियों के बीच या पौध रोपण करें।
- बेल के फैलने के लिए नाली के किनारों से करीब 2 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाएं। यदि स्थान की कमी हो तो नाली के सामानांतर लंबाई में ही लोहे के तारों की फैंसिग लगाकर बेल का फैलाव कर सकते हैं। रस्सी के सहारे बेल को छत या किसी बहुवर्षीय पेड़ पर भी फैलाव कर सकते हैं।

# टमाटर में लगने वाले रोग व नियंत्रण

सब्जियों में टमाटर की फसल में रोगों और सूत्रकृमियों का प्रकोप अधिक होता है और इसी वजह से टमाटर के उत्पादन में कमी आ जाती है। टमाटर के कोमल एवं मुलायम होने के कारण इसमें रोग जल्दी लगते हैं। वहीं नमी युक्त वातावरण एवं उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग भी टमाटर की फसल में रोगों के लिए जिम्मेदार है। जिसके कारण उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक कमी आ जाती है। इसके अलावा बेमौसमी संकर किस्मों का प्रयोग भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण के उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि उत्पादन प्रभावित न हो। इसके लिए जरूरी है कि समय पर रोगों के नियंत्रण के उपाय अपनाएं जाएं।

## टमाटर को रोगों से मुक्त रखने के उपाय के बारे में

### आर्द्र गलन रोग

टमाटर में यह रोग फफूंद राइजोक्टोनिया एवं फाइोफ्थोरा कवकों के मिले जुले संक्रमण से होता है। इससे प्रभावित पौधे का निचला तना गल जाता है। शुरुआत में बीमारी के लक्षण कुछ जगहों में दिखाई पड़ते हैं और 2 से 3 दिनों में पूरी नर्सरी में फैल जाते हैं। नर्सरी भूरे और सूखे धब्बों के साथ पीली-हरी दिखाई पड़ती है। पौधे अचानक ही सूख जाते है।

### नियंत्रण के उपाय

इस रोग के नियंत्रण के लिए टमाटर के बीजों को थायरम या केप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बोना चाहिए। इसके अलावा रोगी पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें तथा खेत में जल निकास उत्तम व्यवस्था रखें।

### अगेती झुलसा रोग

टमाटर की फसल में यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होता है। प्रभावित पौधों की पत्तियों पर छोट काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो बड़े होकर गोल छल्लेनुमा धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं। फल पर धब्बे शुष्क धंसे हुए और गहरे होते है। इन धब्बों के बढने के साथ ही पत्तियां गिर जाती हैं। यह रोग पौधे के सभी भागों में लग सकता है। नियंत्रण के उपाय - इस रोग से रोगग्रस्त पौधों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए ताकि अन्य पौधों में यह रोग नहीं फैल पाए। टमाटर के बीजों को बोने से पहले केप्टान 75 डब्ल्यू पी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। वहीं फसल में रोग के लक्षण दिखाई दे तो मैंकोजेब 75 डब्ल्यू पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से 10 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा फसल चक्र अपनाकर भी इस रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

### पिछेती झुलसा रोग

टमाटर फसल में यह रोग फाइरोफ्थोरा इनफेस्टेन्स नामक कवक से होता है। शुरुआत में पत्तियों पर जलीय अनियमित आकार के धब्बे बनते है, जो बाद में भूरे से काले धब्बों में बदल जाते है। टमाटर की फसल में यह रोग पौधे की किसी भी अवस्था में लग सकता है। पौधे के किसी भी भाग पर भूरे बैंगनी या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते है। वातावरण में लगातार नमी रहने पर इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। फलों के डंठल भी ग्रसित हो कर काले रंग के हो जाते हैं।

### नियंत्रण के उपाय

पिछेती झुलसा रोग से फसल को बचाने के लिए स्वस्थ रोगरहित पौध का उपयोग करना चाहिए। रोग प्रभावित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। इसके अलावा प्रभावित फसल पर मेटालेक्सिल 4 प्रतिशत+मैंकाजेब 64 प्रतिशत डब्ल्यू पी 25 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें।

### छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट के घने जंगलों से लुप्त हो रही औषधि

# सतपुड़ा की पहाड़ियों में दुर्लभ पीले पलास का अस्तित्व बरकरार

संजय शर्मा, खरगोन

सतपुड़ा की पहाड़ियों में न जाने कितने औषधीय पौधों व पेड़ों का अकूत भंडार है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समय काल के इस चक्र में कई औषधियां चाहे विलुप्त हो गई हों, लेकिन जिले की सीमा में फैली सतपुड़ा की दुर्गम पहाड़ियों में दुर्लभ व विलुप्त होते पीले पलास का अस्तित्व आज भी बरकरार है। वैसे तो केसरिया रंग का पलास पूरे देश में पाया जाता है, लेकिन पीला पलास दुर्लभ हो गया है। केसरिया रंग का पलास न सिर्फ पहाड़ी अंचलों में, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी प्राय: देखने को मिलता है, लेकिन पीला पलास वास्तव में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। पीला पलास छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट के घने जंगलों में महज एक-एक पेड़ ही दिखाई देते हैं। खरगोन में पीला पलास पीपलझोपा रोड पर बंहुर गांव की ढलान पर और भीकनगांव के काकरिया से गोरखपुर जाने वाली सड़क पर कमल नारवे के खेत की मेढ़ पर तैयार हो रहे हैं।

## ढाक के तीन पात, इसी से बना मुहावरा

पलास को टेसू, खाकरा, रक्तपुष्प, ब्रह्मकलश, कींशुक जैसे अनेकों नाम से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम ब्यूटीका मोनास्पर्मा ल्यूटिका है। पलास को उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश का राजकीय पुष्प भी माना जाता है। पलास न सिर्फ देखने में सुंदर और आकर्षक है, बल्कि इसके सभी अंग मानव के लिए औषधीय रूप में काम आते हैं। साथ ही ढाक के तीन पात मुहावरा इसी पलास की पत्तियों के कारण बना है। पलास के पत्ते, डंठल, छाल, फली, फूल और जड़ों को भी आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कुछ वर्षों पूर्व होली के समय अक्सर पलास के फूलों से रंग बनाया जाता रहा है, लेकिन आज कैमिकल रंगों के आ जाने से इस फूल के रंग का उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। पलास के पांचों अंग तना, जड़ा, फल, फूल और बीज से दवाइयां बनाने की कई तरह की विधियां हैं। पलास के पेड़ से निकलने वाले गोंद को कमरकस भी कहा जाता है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औषधि

पहाड़ी अंचलों में प्रमुखता से पाए जाने वाला केसरिया रंग का पलास ग्रामीणों के जन जीवन में रचा बसा है। इसका उपयोग न सिर्फ रंग के रूप में काम में लिया जाता है, बल्कि स्वास्थ्य वर्धक गुणों के आधार पर कई बीमारियों में ग्रामीणजन अक्सर काम में लाते हैं। मोतियाबिंद या आंखों की समस्या होने पर काम में लिया जाता है। पलास की ताजी जड़ों का अर्क निकालकर एक-एक बुंद आंखों में डालने से मोतियाबिंद व रतोंधी जैसी बीमारियों में कारगर साबित होता है। इसी तरह नाक से खुन बहने पर भी इसका उपयोग होता है। वहीं गलगंड या घेंघा रोग में भी इसकी जड़ को घिसकर कान के नीचे लेप करने से लाभ होता है।

### -गौशाला के संचालन का भी मिला जिम्मा

# रामस्थान की महिलाएं उगा रहीं मशरूम

दीपक गौतम, सतना

सतना जिले के रामस्थान ग्राम की 12 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं ने आजीविका मिशन के तहत सृष्टि स्व-सहायता समूह बनाया और कोरोना काल में मशरूम की खेती कर मुनाफा भी कमाया। समूह की यह महिलाएं मेहनत, मजदूरी के अलावा अपने पास उपलब्ध भूमि में जैविक खेती के माध्यम से सब्जी-भाजी भी उगा रही हैं। रामस्थान में बन चुकी गौशाला के संचालन का जिम्मा भी इन महिलाओं को दिया गया है। रामस्थान की मेधावी छात्रा सृष्टि सिंह ने एग्रीकल्चर में पीएचडी करने के बाद अपने ही गांव में रहकर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने गांव की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को संगठित महिला स्व-सहायता समूह बनाया और जैविक खेती तथा आर्थिक लाभ के लिये मशरूम उगाने की पद्धति सिखाई। सभी महिलाओं ने मिलकर बांस और घांस फूस तथा भूसा जैसी स्थानीय सामग्री का उपयोग कर झोपड़ी बनाई। सिंचाई के लिए पैरचलित पंप लिया और कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम के बीज लाकर खेती प्रारंभ की।

## 150 रुपए किलो बेचा

समूह की सचिव रामकली आदिवासी बताती हैं कि विगत 7-8 महीने में 100 किलो से ऊपर मशरूम तैयार कर 150 किलो के भाव से स्थानीय मार्केट में बेंच चुके हैं। महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे रामस्थान के मशरूम की चर्चा अब आम हो चुकी है। मशरूम के ग्राहक अब रामस्थान आकर स्वयं मशरूम ले जाते हैं। जनप्रतिनिधि और बड़े अधिकारी जब भी रामस्थान आते हैं तो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं द्वारा की जा रही मशरूम की खेती देखना नहीं भूलते।

## गायों का किया जा रहा संरक्षण

सृष्टि स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष अर्चना सिंह बताती हैं कि

समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं में जागरूकता भी आई है और वे शासन की पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ भी ले रहीं है। समूह की महिलाओं को गौशाला संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। रामस्थान में 100 गौवंश की क्षमता की गौशाला भी समूह संचालित कर रहा है। वर्तमान में 25-30 गौवंशी पशुओं का रख-रखाव किया जा रहा है।

## नरवई से बना रहीं कंपोस्ट खाद

समूह की महिलाओं ने गांव वालों को खेतों की नरवई नहीं जलाने की जागरूकता फैलाई है। अब वे सृष्टि सिंह के निर्देशन में खेती की नरवई से कंपोस्ट खाद भी बना रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि सभी महिलाएं परस्पर सहयोग से मशरूम की खेती और गौशाला का संचालन कर रही है। ये महिलाएं गौशाला से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट से गोबर काष्ठ, गमले, गौमूत्र, से विनाईल जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार कर गौशाला को आत्मनिर्भर और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहती हैं।

# महुआ खतरनाक बीमारियों के लिए बना 'रामबाण'

### -जिस फल से बनती है देशी शराब उसके फायदे कर देंगे हैरान

संवाददाता, भोपाल

**जागत गांव हमार** अपने इस अंक में अपने पाठकों और किसानों के लिए लेकर आया है महुआ के फायदे। चूंकि अब महुआ का सीजन भी शुरू होने वाला है। महुआ का पेड़ आदिवासियों के लिए बहुत महत्व रखता है। आदिवासी लोग न सिर्फ खाने के लिए बल्कि ईंधन के रूप में भी महुआ का उपयोग करते हैं। महुआ खाने में जितना टेस्टी होता है, उतना ही ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। महुआ की छाल का इस्तेमाल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज मेलिटस और ब्लीडिंग में किया जाता है। गठिया और बवासीर की दवाई के रूप में महुआ की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ सूजन, दस्त और बुखार में बहुत असरकारक होती है। खास बात यह है कि महुआ बहुत लंबे समय तक सुखा कर रखा जा सकता है। एक बार जब ये सूख जाता है तो सालों तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। गांवों में किया भी जाता है।

**विटामिन का भंडार:** महुआ में कार्बोहाइड्रेट, फैट, और प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस आयरन, कैरोटीन और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इतने पोषक तत्वों से भरे होने के कारण इसे खाने के बहुत से फायदे होते हैं।

**गठिया में पीएं छाल का रस:** बहुत लोग गठिया की बीमारी की वजह से परेशान रहते हैं। न अच्छे से चल पाते हैं और न ही कोई काम कर पाते हैं। ऐसे में महुआ की छाल गठिया के इलाज में बहुत कारगर है। महुआ की छाल को आप उबाल कर उसका जूस पींए। ये गठिया के दर्द को ही नहीं बल्कि अंदर आ गई सूजन और जकड़न को भी कम करता है। साथ ही महुआ के फूल, जड़ और छाल के साथ बीजों को पीस कर सरसों के तेल में पका लें और इसकी मालिश जोड़ों पर करें। इससे जल्द ही आराम मिल सकता है।

**दांत दर्द होगा गायब:** अगर दांतों में दर्द है या फिर टॉन्सिलिटिस की समस्या है तो आप महुआ की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले महुआ की छाल को पीसना होगा, फिर उमसें पानी मिला लें। इस पानी से आप कुल्ला करें और रस को दांतों और मसूड़ों पर लगा लें।

# गांवों को सशक्त बनाएंगी गौशालाएं

- पंचायत मंत्री सिसौदिया ने कहा- स्थापित कराएंगे उद्योग
- खामखेड़ा में डेढ़ करोड़ से बनने वाली गौशाला का भूमिपूजन
- गौ-कास्ट, गौमूत्र, अगरबत्ती-धूपबत्ती आदि उद्योग आगे बढ़ेंगे
- किसान खेती के साथ-साथ अन्य गतिविधियां भी संचालित करें

**भोपाल।** प्रदेश सरकार अब बड़ी-बड़ी गौशालाएं बनवाएगी। इससे संबंधित उद्योग भी लगाए जाएंगे, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और ग्राम भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहें। जैविक खाद का उत्पादन होगा। जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी और लागत में कमी आने, उत्पादन बढ़ने से फायदे का धंधा बनेगा। सरकार इस विजन पर काम कर रही है कि मप्र की गौशालाएं आत्मनिर्भर बनें। इस उद्देश्य से गौ-कास्ट, गौमूत्र, अगरबत्ती-धूपबत्ती आदि उद्योग आगे बढ़ेंगे। ग्राम आत्मनिर्भर बनेंगे तब ही प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं किसानों से आह्वान किया गया है कि वे खेती-किसानी के साथ-साथ आय के अन्य जरिए की गतिविधियां भी संचालित करें ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें परेशान नहीं होना पड़े।

**होंगी ग्राम सभाएं:** अगले दो माह में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। वीसी के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की

जाएगी। समुचित ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा से कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले माह आरोन डाक बंगले में समस्या निवारण शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण कराया जाएगा। इस मौके पर गुना जिले के समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।

**चार दिन में हो सर्वे:** तेज ठंड के चलते किसानों की धनिया-चने को क्षति पहुंची है। राजस्व अधिकारी छूटे हुए ग्रामों का चार दिन में सर्वे करें। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार किसानहित और किसान कल्याण के कार्य करने वाली सरकार है। ग्राम खामखेड़ा मार्ग निर्माण कार्य मनरेगा से कराया जाएगा। साथ ही खजूरी ग्राम गौशाला निर्माण कराया जाएगा।

### इनका कहना है

अब बड़ी-बड़ी गौशालाएं बनवाएंगे। इससे संबंधित उद्योग भी लगाए जाएंगे ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और ग्राम भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहें। जैविक खाद का उत्पादन होगा। मैंने आरोन जनपद अंतर्गत ग्राम खामखेड़ा में 1.49 करोड रुपए लागत से 1000-1500 गौवंशीय पशुओं की क्षमता की गौशाला निर्माण का भूमिपूजन किया है।

**महेंद्र सिंह सिसौदिया**, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री

## नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 9 सालों में 10 गुना वृद्धि

# मध्यप्रदेश की सौर ऊर्जा से दौड़ रही दिल्ली की मेट्रो

**संवाददाता, भोपाल**

प्रदेश में पिछले 9 सालों में नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में दस गुना वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 491 मेगावॉट थी जो वर्ष 2020 में बढ़कर 5042 मेगावॉट हो गई है। इसमें पवन ऊर्जा की 2444 मेगावॉट, सौर ऊर्जा की 2380, बायोमास की 119 और लघु जल विद्युत परियोजना से 99 मेगावॉट बिजली शामिल है। प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि देश की सबसे बड़ी रीवा जिले की अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की बिजली से दिल्ली की मेट्रो रेल दौड़ रही है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मप्र लम्बी छलांग रहा है। छतरपुर और मुरैना जिलों में भी 2900 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। राज्य शासन द्वारा इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। भूमि के आधिपत्य की कार्रवाई प्रचलन में है। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावॉट क्षमता की ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना के लिए भी 2 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र चिन्हित कर लिया गया है।

### सावधान इंडिया

यूएनईपी की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि वर्तमान गति से परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग किया जाता रहा तो संभव है 2050 तक ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन दुगना हो जाएगा। ऐसे मे नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प के रूप में सामने आयी है।

### ईंधन भंडारों में कमी

नवकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा स्त्रोत जैसे सूर्य, पवन, जल, बायोमास आदि से उत्पन्न की जाती है। विश्व में लगातार बढ़ रही जनसंख्या के कारण ईंधन की लागत बढ़ने के साथ परंपरागत ईंधन भंडारों में भी निरंतर कमी होती जा रही है। नवकरणीय ऊर्जा ऐसे में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे पारम्पारिक ऊर्जा स्त्रोत पर निर्भरता कम करने में सक्षम है।

### इनका कहना है

प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि देश की सबसे बड़ी रीवा जिले की अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की बिजली से दिल्ली की मेट्रो रेल दौड़ रही है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत 1500 मेगावॉट की आगर-शाजापुर-नीमच सोलर परियोजना का काम शुरू किया गया है। इसकी निविदा जुलाई 2021 तक पूर्ण कर 2023 तक परियोजना स्थापित कर दी जाएगी। इससे उत्पन्न होने वाली बिजली भी प्रदेश के साथ भारतीय रेलवे को भी दी जाएगी।

**हरदीप सिंह डंग**, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री

### प्रदेश की 20 ग्रामीण सड़कें अब होगी मुख्य जिला सड़क

**भोपाल।** स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और निवासियों की मांग पर प्रदेश की 20 ग्रामीण सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में शामिल किया गया है। इन सड़कों के

**रख-रखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग उठाएगा**

निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी अब लोक निर्माण विभाग उठाएगा। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के मुख्य बिंदुओं के तहत प्रदेश की सुदृढ़ अधोसंरचना विकास राज्य शासन की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की मांग पर ग्वालियर संभाग की 6 ग्रामीण सड़कों, मुरैना संभाग में श्योपुर जिले की 3 सड़कों, उज्जैन संभाग की 7 सड़कों, भोपाल संभाग में बैतूल जिले की 2 सड़कों तथा होशंगाबाद और बालाघाट जिले की एक-एक ग्रामीण सड़क अब मुख्य जिला सड़कों में तब्दील होगी। मुख्य जिला सड़क के रूप में उन्नयन हो जाने से इन सड़कों का बेहतर रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इनके निर्माण और रख-रखाव के लिए सीआरआईएफ से भी आर्थिक मदद मिलना आसान होगा।

# सोयाबीन पर हो रहे शोध को मिली मुख्यमंत्री फैलोशिप

**जबलपुर।** जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि में निरंतर शोध कार्य किए जा रहे हैं। इन शोध कार्यों का उद्देश्य एक ओर युवाओं का कृषि के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के विषय में ध्यानाकर्षण कराना है जिससे युवा अपनी शिक्षा, योग्यता व तकनीक का उपयोग कर इन पर शोध करें और कृषि व किसानों से जुड़ी इन समस्याओं का हल निकालें।

इसी कड़ी में कृषि अर्थशास्त्र व प्रक्षेत्र प्रबंध विभाग, कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत पीएचडी की छात्रा श्रुति मिश्रा मध्य भारत में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में सोयाबीन आधारित फसल प्रणाली का विश्लेषण शीर्षक के अंतर्गत शोध कर रही हैं। यह चयन राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री फैलोशिप के लिए किया गया। कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों की उपलब्धियों की श्रृंखला का सृजन जारी है।

### इनका कहना है

प्रदेश के सोयाबीन-गेहूं व सोयाबीन-चना आधारित फसल प्रणाली व जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रही हूं। यह भी खोजा जा रहा है कि किस तरीके से प्रदेश में प्रचलित इन प्रणालियों में किस तरह से अधिक टिकाऊपन लाया जा सके। इस विश्लेषण के आधार पर भविष्य में प्रदेश के बहुतायत कृषकों को उत्तरोत्तर आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही मप्र शासन को भी जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में इन फसलों के उत्पादन की दिशा में सहायता हो सकेगी।

**श्रुति मिश्रा**, शोधार्थी

## आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

**जागत गांव हमार**

*कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।*

**संपर्क करें**

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
रायसेन, बृजेश ठाकुर-9926777555
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
गंजबासौदा, प्रदीप श्रीवास्तव- 7987780456
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति -9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)